रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31072020-220805
CG-DL-W-31072020-220805

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जुलाई 19—जुलाई 25, 2020, शनिवार /आषाढ़ 28 —श्रावण 3, 1942
No. 22] NEW DELHI, JULY 19—JULY 25, 2020, SATURDAY/ASADHA 28—SRAVANA 3, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 8.जुलाई, 2020

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, (निदेशक न्याय संबंधी विज्ञान/मुख्य न्याय संबंधी वैज्ञानिक) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय और इनकी दूरस्थ इकाइयों में निदेशक – सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, निदेशक – सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
निदेशक - सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक	01 (2020)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 14 (1,44,200/ - 2,18,200/- रु.)	चयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13(रु. 123100-215900/-) में गृह मंत्रालय के अधीन न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, के केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के ऐसे निदेशक, जिन्होने उस श्रेणी में न्यूनतम 3 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) केंद्रीय / राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों / स्वायत्त / सांविधिक संगठन / पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जो सदर्श पद धारण किए हुए हो; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (क) (131100 - 216600/- रु.) में उस पद पर दो वर्ष सेवा की हो ; या (iii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/- रु.) में नियमित	**समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे-:** (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (ii) सचिव या अपर सचिव, गृह मंत्रालय - सदस्य; (iii) महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो -सदस्य ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतग्रत अल्पकालीन संविदा भी है) के आधार पर पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष सेवा की हो I और (ख) नीचे दी गयी शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन / भौतिकी / बॉटनी / जूलॉजी / बायो-केमिस्ट्री / न्यायालयिक विज्ञान / गणित / अनुप्रयुक्त भौतिकी/ जैव भौतिकी/व्यवहारिक गणित/ माइक्रोबायोलॉजी / बायोटेक्नोलॉजी / फिजिकल ऐन्थ्रपॉलजी / जेनेटिक्स / फार्माकोलॉजी / फार्मेसी/ मनोविज्ञान / अपराध विज्ञान / कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स / मानव जेनेटिक्स मे स्नातकोत्तर या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी / सिविल / इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल /इलेक्ट्रॉनिक्स / टेलीकम्यूनिकेशन / कंप्यूटर साइंस / इंस्ट्रूमेंटेशन / कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग (ईसीई) / सूचना प्रौद्योगिकी (आइ. टी) / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (ईईई) में बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी. टेक । (ii) जिनके पास न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में न्यूनतम बारह वर्ष के कार्य करने का अनुभव सहित उपरोक्त विषयों में से किसी एक विषय में अठारह वर्ष का अनुसंधान, प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक अनुभव। **वाछनीय अर्हता**:(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से सुसंगत विषयों में डॉक्टरेट डिग्री। **टिप्पण 1**:पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ती में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतग्रत अल्पकालीन संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी		

या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी I **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीँ होगी I		

[फा. सं. डीएफएसएस/38(1)/2012-प्रशा.]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE SERVICES)

New Delhi, the 8th July, 2020

G.S.R. 103.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development (Director Forensic Science / Chief Forensic Scientist) Recruitment Rules,1985, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director-Cum-Chief Forensic Scientist in the Directorate of Forensic Science Services and its outlying units, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Director –Cum- Chief Forensic Scientist Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service **Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.**

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director- Cum-Chief Forensic Scientist	01* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non- Ministerial	Level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200/-)	Selection post

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Directors of the Central Forensic Science Laboratories under Directorate of Forensic Science Services, Ministry of Home Affairs, in level 13 (Rs. 123100-215900/-) of the pay matrix with a minimum of three years’ regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutes:	**Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; (ii) Secretary or Additional Secretary, Ministry of Home Affairs -Member; (iii) Director General, Bureau of Police Research and Development -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (including short-term contract) basis.

(a) (i) holding analogous posts ; Or (ii) with two years' service in post in the level 13 A (Rs. 131100-216600/-) of the pay matrix; Or (iii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 13 (Rs. 123100-215900/-) of the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under: (i) Masters degree in Chemistry or Physics or Botany or Zoology or Bio-chemistry or Forensic Science or Mathematics or Applied Physics or Biophysics or Applied Mathematics or Microbiology or Biotechnology or Physical Anthropology or Genetics or Pharmacology or Pharmacy or Psychology or Criminology or Computer Science or Electronics or Human Genetics or B.E or B.Tech in biotechnology or Civil or Electrical or Mechanical or Electronics or Telecommunication or Computer Science or Instrumentation or Computer Science and Engineering (CSE) or Electronics and communications Engineering (ECE) or Information Technology or Electrical and Electronics Engineering (EEE) from a recognised university or Institute. (ii) eighteen years research, training and analytical experience in any one of the above subjects with a minimum twelve years of working experience in Forensic Science Laboratory. Desirable qualification: Doctorate degree in the relevant subjects from a recognised university or equivalent. Note-1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. **Note-2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note-3: The maximum age-limit for		

appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-eight years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. DFSS/38(1)/2012-Admn.]

NARENDRA KUMAR, Under Secy.

(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि.104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग-III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम,1962 को, जहाँ तक उनका संबंध सवार हरकारा के पदों से है, का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) में सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सवार हरकारा (ग्रेड-I), सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड), भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे ही होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूत-पूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सवार हरकारा (ग्रेड-I)	25* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5, रु. 29200-92300

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नत या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति:-- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4, रू० 25500-81100 में ऐसे सवार हरकारा (ग्रेड-II), जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की है या सवार हरकारा (ग्रेड-II) और सवार हरकारा (साधारण ग्रेड) में 15 वर्ष की सम्मिलित सेवा की है; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यावसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष। 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. सवार हरकारा (ग्रेड-II)	25* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4, रु. 25500-81100.

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

(11)
प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2, रु. 19900-63200 में ऐसे सवार हरकारा (साधारण ग्रेड), जिसने इस श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट, व्यवसायिक परीक्षण उत्तीर्ण कर ली है। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि, उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष। 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
3. सवार हरकारा (साधारण ग्रेड)	28* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2, रू० 19900-63200

(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता	18-25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।	**आवश्यक :-** (i) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) मोटर साइकिल चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो; (iii) मोटर यंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान की छोटी खराबी को दूर करने आना चाहिए); (iv) मोटर साइकिल चलाने का तीन वर्ष का अनुभव ; और **वांछनीय:** होम गार्ड या सिविल स्वंयसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पण 1**: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी	लागू नहीं होता

		स्तर पर, सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, रू० 18000-56900 में नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में कार्यरत हैं और जिनके पास मोटर साइकिल चलाने के लिए सक्षमता निर्धारण करने के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटर साइकिल चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, रू० 18000-56900 में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पदधारण करने वाले पदधारियों या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से, जो स्तम्भ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन :** सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे कार्मिकों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों में रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	**(13)**
समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. उप निदेशक,समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य। 3. सहायक निदेशक या समकक्ष – बाह्य सदस्य।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख और ग)/2017-प्र.II /पुअ. II]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Class III posts [Directorate of Co-ordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the posts of Despatch Rider except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of to recruitment to the posts of Despatch Rider (Grade I), Despatch Rider (Grade II) and Despatch Rider (Ordinary Grade) in the Directorate of Co-ordination (Police Wireless), under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement** .— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Despatch Rider (Grade -I), Despatch Rider (Grade -II) and Despatch Rider (Ordinary Grade), Recruitment Rules 2020.

(2). They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix .—** The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification .—**No person.¯

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Despatch Rider (Grade- I)	25* (2020) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in the pay matrix ₹ 29200-92300

Whether selection or non -selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(9)	(10)
Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or transfer grades from which promotion or deputation/ transfer to be made
(11)
Promotion: Despatch Rider (Grade-II) in level 4 in the pay matrix ₹25500-81100 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Despatch Rider (Grade- II) and Despatch Rider (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1 Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman. 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member 3. Assistant Director or equivalent – External Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Despatch Rider (Grade II).	25* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4 in the pay matrix ₹25500-81100.

(5)	(6)	(7)	(8)
Non-selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)
Not applicable	By promotion

(11)
Promotion:- Despatch Rider (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix ₹19900-63200 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1 Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member 3. Assistant Director or equivalent, – External Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Despatch Rider (Ordinary Grade)	28* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group C Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix ₹19900-63200.

(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable	18 - 25 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) 10th Standard pass; (ii) possession of a valid driving license to drive motor cycle; (iii)knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iv) experience of driving motor cycle for three years; and **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note 1:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. **Note 2**: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)
Two years for direct recruit or re-employed	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.

(11)
Deputation/absorption: From amongst the regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix 18000-56900, working in the Directorate Coordination Police Wireless and who possess a valid driving license for driving motor cycle on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cycle failing which from officials holding the post of Despatch Rider on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix 18000-56900 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Group `C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman. 2. Assistant Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member. 3. Assistant Director – External Member.	Not applicable

[F. No.A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]
CHANDAN KUMAR, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भूमि संसाधन विभाग, वैज्ञानिक (प्रोद्योगिकी विस्तार) भर्ती नियमावली, 2000 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में वरिष्ठ अपर आयुक्त (वाटरशेड विकास) के पद के लिए भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि संसाधन विभाग, वरिष्ठ अपर आयुक्त (वाटरशेड विकास), भर्ती नियमावली, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हता, इत्यादि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है या गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती करने के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ अपर आयुक्त (वाटरशेड विकास)	1* (2020) *कार्यभार पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अलिपिक- वर्गीय	स्तर 13-ए (131100/- 216600/- रु.)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती करने के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती करने के लिए निर्धारित आयु-सीमा तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत कार्मिकों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धतिः क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**मिश्रित पद्धतिः** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)अथवा पदोन्नति

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है।	किन परिस्थितियों में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) अथवा प्रोन्नति केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारीः क.(i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 13 (123100-215900 रु.) अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होंने मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 12 (78800-209200 रु.) अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर छः वर्ष की सेवा की हो; और ख. जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो आवश्यक अर्हताः क.(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि अथवा मृदा विज्ञान अथवा कृषि रसायन अथवा बागवानी अथवा वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्री;	लागू नहीं	पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

ख.अनुभव i) बंजर भूमि विकास/वाटरशेड विकास अथवा कृषि अथवा वानिकी अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अथवा भूमि उपयोग योजना अथवा संसाधन संरक्षण की योजना बनाने और कार्यान्वयन की पर्यवेक्षी क्षमता में पन्द्रह वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि अथवा मृदा विज्ञान अथवा कृषि रसायनअथवा बागवानी अथवा वनस्पति विज्ञान में वाचस्पति डिग्री अथवा विद्या वाचस्पति अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अथवा कृषि अभियांत्रिकी में मास्टर डिग्री; (ii) वाटरशेड अथवा ग्रामीण विकास के लिए योजना अथवा स्कीमों को तैयार करने अथवा अन्तर-राज्य समन्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने में अनुभव। टिप्पणी 1: विभागीय उपायुक्त (वाटरशेड विकास), जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 (78800-209200 रु.) में, ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और उसके पास प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है और उसके बारे में बाहरी कार्मिकों के साथ विचार किया जाता है और यदि विभागीय अभ्यर्थी का पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। **टिप्पणी 2:** केंद्रीय सरकार के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.ए-12025/1/2007-प्रशा.]

टीएच. लियानबोई, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Land Resources)

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 105 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Land Resources, Scientist (Technology Extension), Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Additional Commissioner (Watershed Development) in the Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, namely:-

1. **Short title and commencement**.— (i) These rules may be called the Department of Land Resources, Senior Additional Commissioner (Watershed Development), Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualification, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person - ,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-service-men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Additional Commissioner (Watershed Development)	1* (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service. Group 'A' Gazetted, Non- Ministerial	Level -13A (Rs.131100 - 216600/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	**Composite method:** Deputation (including short term contract) or Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted to make recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) or Promotion: Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisations: a. (i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With two years' service in the	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

pay scale of Level-13 (Rs. 123100 – 215900/-) of the pay matrix on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) With six years' service in the pay scale of Level-12 (Rs. 78800 – 209200/-) of the pay matrix on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the following educational qualifications and experience: **Essential Qualification:** A. (i) Masters degree in Agriculture or Soil Science or Agricultural Chemistry or Horticulture or Botany from a recognised University or Institute or Bachelor degree in Civil or Agricultural Engineering from a recognised University or Institute; B. Experience (i) Fifteen years' experience in a supervisory capacity of planning and implementation of wastelands development or watershed development or agriculture or forestry or rural development programmes or land use planning or resource conservation. **Desirable Qualification:** (i) Doctorate degree or Ph. D. in Agriculture or Soil Science or Agricultural Chemistry or Horticulture or Botany from a recognised University or Institute or Master degree in Civil or Agriculture Engineering from a recognised University or Institute; (ii) Experience in formulation of plan or schemes for watershed or rural development or devising strategy for inter-state coordination. **Note 1**: The departmental Deputy Commissioner (Watershed Development) in Level-12 (Rs. 78800 - 209200/-) of the pay matrix with six years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders and if the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.		

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12025/1/2007-Admn.]

TH. LIANBOI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.07.31 22:28:07 +05'30'